भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1775
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा मिशन

1775. श्री दर्शन सिंह चौधरी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और देश के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई व्यापक परमाणु ऊर्जा मिशन संचालित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर), अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशी प्रौद्योगिकी तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी के संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, आवंटित बजट, स्थापित और प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) हां। देश की ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी नाभिकीय ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शांति अधिनियम भी अधिनियमित किया है। उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर प्रौद्योगिकी आधारित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान परिकल्पित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) और नई उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों की घोषणा की है। द्रुत प्रजनक रिएक्टरों के विस्तार की दिशा में, भारत सरकार ने कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 2 x 500 मेगावाट एफबीआर 1 व 2 की पूर्व-परियोजना गतिविधियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी नई नाभिकीय विद्युत परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। हालाँकि, नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों में निम्न शामिल हैं;

- केएपीपी-3 व 4 (2 X 700 मेगावाट) और आरएपीपी-7 (700 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने से कुल 2100 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बांसवाड़ा, राजस्थान में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट-1 से 4 की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना को एनपीसीआईएल की सहायक कंपनी - अश्विनी (एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- विश्व के सबसे पुराने प्रचालित नाभिकीय रिएक्टर टीएपीएस-1 व 2 ने प्रमुख नवीनीकरण कार्यों की सफल पूर्णता के बाद प्रचालन पुनः शुरू किया।
- कर्नाटक राज्य में कैगा यूनिट-5 व 6 का निर्माण कार्य आवश्यक वैधानिक और नियामक मंजूरी प्राप्त करने के बाद 'कंक्रीट की पहली ढलाई' (एफपीसी) के साथ ही शुरू हो गया।
- पीएफबीआर ने दिनांक 06 अप्रैल, 2026 को क्रांतिकता प्राप्त की।

(घ) सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शांति अधिनियम अधिनियमित किया है। शांति अधिनियम, 2025 के तहत नियम तैयार हो जाने के बाद, राज्यों, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के लिए सरकार के साथ सहयोग करना संभव हो जाएगा।

*****